

25.9.24

ed

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए।
प्रार्थी अधिवक्ता को उपस्थित होने व फोन पेश करने हेतु कति
अवसर दिया जाता है।

पत्रावली वास्तु नापिल दिनांक 30.9.24 को पेश हो।
ed

30.9.24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण नापिल
हेतु नियत ही प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने से प्रकरण
मूल गड अदम हाजरी. अदम पैरवी के 'आरिज' हो चुका है। जिससे एक
प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अंतः प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 9 नियम 8 के अदम हाजरी
अदम पैरवी के आरिज किया जाता है। निर्णय लेर इजलास मुतास
गामा। प्रकरण फैसल शुक्रा होकर नम्बर से कम हो।

ed
(रियासत)
RA